



कार्यालय अधिष्ठाता
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स), बिलासपुर (छ0ग0)

FAX (O) - 07752-224200, PHONE (O) - 07752-230030,
Website : www.cimsbilaspur.ac.in, email - deancims@gmail.com

क्रमांक / 16102 / छात्रशाखा / सिम्स / 25


बिलासपुर, दिनांक 23/10 / 2025

-:: संशोधित आदेश ::-

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स), बिलासपुर छ.ग. के पूर्व में गठित एन्टी रैगिंग स्क्वाड के आदेश क्रमांक/9108/छात्रशाखा/सिम्स/24/बिलासपुर, दिनांक 24.07.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए रैगिंग के रोकथाम एवं तत्विषयक कार्यवाही करने हेतु निम्नानुसार एन्टी रैगिंग स्क्वाड का एतद् द्वारा पुनः गठन किया जाता है:-

स.क्र.	पद	नाम
1	2	3
01	अध्यक्ष	डॉ. आरती पाण्डेय, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, नाक, कान, गला विभाग
02	सदस्य बालिका छात्रावास	1. डॉ. शिक्षा जांगड़े, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, एनाटामी विभाग
		2. डॉ. चित्रांगी बरपाण्डे, सहा. प्राध्या., पैथोलॉजी विभाग
		3. डॉ. श्रुति अग्रवाल, सहा. प्राध्या., कम्प्यूनिटी मेडीसिन, विभाग
		4. डॉ. यशा तिवारी, सहा. प्राध्या., एनेस्थिसिया विभाग
		5. डॉ. रिचा पाण्डेय, सहा. प्राध्या., माईक्रोबायोलॉजी विभाग
		6. बालिका छात्रावास के वार्डन एवं सहायक वार्डन, सिम्स (पदेन)
03	सदस्य बालक छात्रावास	1. डॉ. मनीष साहू, सहा. प्राध्या., बायोकेमिस्ट्री विभाग
		2. डॉ. तजम्मूल, सहा. प्राध्या., माईक्रोबायोलॉजी विभाग
		3. डॉ. राहुल अग्रवाल, सहा. प्राध्या., फोरन्सिक मेडीसिन विभाग
		4. डॉ. किसलय देवांगन, सहा. प्राध्या., मेडीसिन विभाग
		5. डॉ. नागेन्द्र साहू, डेमान्स्ट्रेटर, पैथोलॉजी विभाग
		6. बालक छात्रावास के वार्डन एवं सहायक वार्डन, सिम्स (पदेन)

उपरोक्त समिति प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के तीन माह के भीतर हर 15-15 दिवस में तथा तीन माह पश्चात् समय-समय पर छात्रावासों का आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार कर, की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से अवगत करना सुनिश्चित करेंगे।


अधिष्ठाता,


छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान,

बिलासपुर (छ0ग0)

बिलासपुर, दिनांक 23/10/2025

पृ0क्रमांक / 16103-10 / छात्रशाखा / सिम्स / 25
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका फेस-1 नई दिल्ली की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त/संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छ.ग. शासन, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. कुलसचिव, छ.ग. आयुष स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. संबंधितों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. समस्त विभागाध्यक्षों की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
7. मुख्य अधीक्षक तथा अधीक्षक/अधीक्षिका, बालक एवं बालिका छात्रावास, सिम्स बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. छात्र संघ पदाधिकारी/कक्षा प्रतिनिधि एवं समस्त नोटिस बोर्ड।


अधिष्ठाता,

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान,

बिलासपुर (छ0ग0)